भीम

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान–302005

क्रमांकः एफ 25(75)/पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2016/16356 जयपुर,दिनांकः 10/9/2021

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईविंग लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजिटल आईडेंटिटी के रुप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः कार्यालय आदेश संख्या 05/2019 दिनांक 12.05.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या GSR 111(E) दिनांक 08.07.2017 के द्वारा डिजिलॉकर एवं एम–परिवहन एप में प्रस्तुत किये गये चालक लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक रुप से मूल दस्तावेजों के समतुल्य माना गया है। इसकी निरंतरता में संदर्भित कार्यालय आदेश द्वारा डिजिटल स्वरुप में दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की स्वीकार्यता के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह लाया गया है प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चालकों/मालिकों को भौतिक रुप से दस्तावेज पेश करने हेतु बाध्य किया जा रहा है जोकि विभागीय आदेशों के अनुरुप नहीं है, जिसे उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या 05/2019 के द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त प्रवर्तन अधिकारियों को पाबंद करें। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावे।

संलग्न : कार्यालय आदेश 05/2019 की प्रति।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25(75)/पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2016/16357-63 जयपुर,दिनांकः 10/9/2021

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन गृह एवं परिवहन, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।
4. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की पालना किये जाने हेतु समस्त गश्ती दलों को निर्देशित करें एवं अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)